

**कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम)
रोहिणी न्यायालय : दिल्ली**

:: आदेश ::

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उ०/प०), जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली द्वारा जारी आदेश संख्या फ.2(3)प्रशासन अनुभाग-3(उ०/प०)/रोहिणी/2016.743-87 दिनांक 19.05.16 की पुनरावृत्ति करते हुए न्यायालय में कार्यरत अर्दलियों/चपरासियों को निदेश दिया जाता है कि उनके न्यायालय में कार्यरत डाक चपरासी के अवकाश पर होने के उपरान्त उस न्यायालय से संबंधित डाक का कार्य उस न्यायालय के अर्दली/चपरासी द्वारा किया जाएगा। उपर्युक्त आदेश की अवमानना करने पर दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(रजनीश भटनागर)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उ/प)
जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।

संख्या 7676-7746 प्रशासन अनुभाग-III(उ०/प०)/2019

दिल्ली, दिनांक 08/3/19

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. निजी सचिव, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उ/प), जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।
2. निजी सचिव, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर), जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।
3. संबंधित न्यायाधीश (उ/प), जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।
4. सभी अर्दलियों/चपरासियों को उनके पीठासीन अधिकारी (उ०/प०), रोहिणी न्यायालय, दिल्ली के माध्यम से।
5. सभी अर्दलियों/चपरासियों को उनके पीठासीन अधिकारी (उत्तर), रोहिणी न्यायालय, दिल्ली के माध्यम से।
6. वेबसाइट समिति अंग्रेजी/हिन्दी, जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।
7. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी (उ/प), जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।
8. अभिलेख अधिकारी, सूचना का अधिकार (उ/प), जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।
9. लेयरस सीट, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उ/प)
जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली।